संख्या-4/2023/358/44-2-2023

प्रेषक,

अभिषेक सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों से सम्बंधित
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 12 दिसम्बर, 2023**

विषयः सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-1033/ब्यूरो/परि०प्र०/2023-62/2023 दिनांक-30.10.2023 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या/परामर्श के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सरकारी सेवकों की सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाने की दशा में कार्मिक अनुभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-6/2021/6/12/73-का-2-2021 टीसी-iv/2021 दिनांक 12.11.2021 द्वारा प्राख्यापित उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली-2021 के **नियम -2 (तीन) अविवाहित पुत्रियों, अविवाहित दत्तक पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ और विधवा पुत्र वधुएँ, के स्थान पर किये गए संशोधन पुत्रियाँ (जिनमें दत्तक पुत्रियाँ सम्मिलित हैं) और विधवा पुत्र वधुएं** एवं शासनादेश संख्या-07/2022/6/12/73/47-का-2022टीसी-iv, दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से किये गए आंशिक संशोधनों को सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को सेवायोजन में लिए जाने हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों में वर्णित भर्ती/प्रतिबंधों के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों पर भी लागू समझा जाए।

कृपया अपने नियंत्रणाधीन निगमों/उपक्रमों के सम्बन्ध में तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अभिषेक सिंह
विशेष सचिव।

संख्याः-4/2023/358(1)/44-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उनके उपर्युक्त पत्रों के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
3. सर्वजनिक उद्यम अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
5. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in